



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

2026:AHC:46026

रिट - ए संख्या - 2026 की 294

मोहम्मद अहमद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सगीर अहमद

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

शुद्धि पत्र आवेदन संख्या 2, वर्ष 2026 के संदर्भ में

1. इस शुद्धि पत्र आवेदन के माध्यम से, दिनांक 16.02.2026 के आदेश के पैराग्राफ-3 की तीसरी पंक्ति और पैराग्राफ-4 की पांचवीं पंक्ति में शब्द "बरेली" को हटाकर उसके स्थान पर "पीलीभीत" प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है।
2. तदनुसार, शुद्धि पत्र आवेदन को स्वीकार किया जाता है।
3. चूंकि शुद्धि पत्र आवेदन का निर्णय आज लिया गया है, इसलिए दिनांक 16.02.2026 के आदेश के पैराग्राफ-4 की पांचवीं पंक्ति में निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 13.03.2026 तक किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।